अध्यापक शिक्षा एवं अध्यापकों का निरंतर पेशेवर विकास

उमेश चमोला*

इस लेख में अध्यापकों के पेशेवर विकास से जुड़े तमाम मुद्दों एवं प्रयासों का उल्लेख किया गया है। जिसमें अध्यापकों के पेशेवर विकास के संदर्भ में दार्शनिक पृष्ठभूमि, अध्यापक पेशे को अपनाना एवं निरंतर विकास, अध्यापकों के पेशेवर विकास के सूचक, अध्यापकों का पेशेवर विकास एवं पाठ्यचर्या, इंटर्नशिप कार्यक्रम, शोध, नेतृत्वशीलता, क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रम, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, प्रबंधन, मूल्यांकन और अन्य मसलों सहित अध्यापक शिक्षा के पृथक ढाँचे पर व्यावहारिक एवं विस्तृत उल्लेख किया गया है।

प्रस्तावना

अध्यापक बनने की प्रक्रिया यांत्रिक नहीं है अर्थात् किसी वस्तु, जैसे— साबुन या मशीन बनाने की प्रक्रिया जैसी नहीं है। एक बार वस्तु ने जो आकार ले लिया, वही उसका अंतिम रूप है। अध्यापक बनने की प्रक्रिया लचीली है जो बदलती हुई परिस्थितियों में नए-नए रूपों को जन्म देती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्षा धातु और आ प्रत्यय से मिलकर बना है। अर्थात् सीखने-सिखाने की प्रक्रिया। इसी संदर्भ में अध्यापक शब्द का अर्थ हुआ सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को संपादित करने वाला। चूँकि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अत: अध्यापकों के पेशेवर विकास की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है।

अध्यापकों के पेशेवर विकास के संदर्भ में दार्शनिक पृष्ठभूमि

प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू के अनुसार जन्म के समय मानव का मस्तिष्क कोरा होता है। इसमें अंतर्निहित ज्ञान शून्य होता है। शिक्षा के माध्यम से उसके कोरे मस्तिष्क में ज्ञान को अंकित कराया जाता है। इब्नसिना ने अरस्तू के इस विचार को विस्तारित करते हुए कहा कि मानव के कोरे मस्तिष्क में क्षमताएँ शिक्षा के माध्यम से ही जाग्रत होती हैं। इनमें ज्ञान, निरीक्षण और तर्क की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अरस्तू के कोरे मस्तिष्क का विचार शिक्षा में कई वर्षों तक मान्य रहा। आधुनिक मनोविज्ञान और जीवविज्ञान के अनुसार बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट जैसा नहीं होता, अपितु उसकी कोशिकाओं में जीन के माध्यम से अंतर्निहित शक्तियाँ पहले से ही मौजूद रहती हैं। एक

**शिक्षक-प्रशिक्षक*, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय भवन, नालापानी, देहरादून, उत्तराखंड – 248001

अध्यापक और विद्यार्थी में अंतर्निहित इन शक्तियों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब अध्यापक अपने को अध्यापक बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित पाता है और पेशेवर विकास के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब वह अपने में अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करता है। वह विद्यार्थी को अधिगम का ऐसा वातावरण देने का प्रयास करता है, जिसमें विद्यार्थियों की शक्तियों को प्रस्फुटित होने का अवसर मिले। स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक अध्यापक को विद्यार्थियों में ज्ञान की जाग्रति के संचारक और संवाहक के रूप में कार्य करना चाहिए।

भारतीय दर्शन में 'असतो मा सद्ग' (असत्य से सत्य की ओर ले जाना) तथा 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' (अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना) कहकर शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न उठता है तमस से ज्योति तथा असत्य से सत्य की ओर ले जाने में विद्यार्थी को प्रेरित करने का दायित्व किसके ऊपर है? स्पष्ट है कि यह अध्यापक ही है जिसे भारतीय दर्शन में ईश्वर से ऊपर का दर्जा देकर गुरु के रूप में विभूषित किया गया है। गुरु वही व्यक्ति कहलाने का अधिकारी होगा जो गुरुता (श्रेष्ठता) को प्राप्त करेगा और गुरुता को बनाए रखने में सफल होगा। गुरुता को प्राप्त करना और गुरुता को बनाए रखना, इन दोनों प्रक्रियाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अध्यापक बनने की प्रक्रिया और अध्यापकों के निरंतर पेशेवर विकास के रूप में विश्लेषित किया जाना उचित होगा। भारतीय दर्शन में अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थी से हार जाने में गौरवांवित होने की स्थिति अध्यापक के पेशेवर विकास की प्रक्रिया के शीर्ष बिंदु के रूप में आख्यायित है।

जब एक अध्यापक, पेशेवर विकास की सतत प्रक्रिया में अपने को सम्मिलित पाता है तो उसके विचारों में ठहराव के बजाय ग्राह्यता आ जाती है। वह नए-नए विचारों को ग्रहण करने और उनके विश्लेषण में स्वयं को आनंदित महसूस करता है। वह अहंकार शून्य होकर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थी और अपने को सहभागी के रूप में स्वीकार करने लगता है। वह बच्चों को स्व-अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने लगता है। वह स्वयं चिंतन करता है। विद्यार्थियों को भी चिंतन करने और कई तरह के सवाल-जवाब करने को प्रेरित करता है और इस हेतु अवसर भी प्रदान करता है।

अध्यापक पेशे को अपनाना एवं निरंतर विकास

जिस दिन व्यक्ति अपनी आजीविका के रूप में अध्यापन पेशे का चयन करता है, उसी दिन वह अध्यापक संबंधी पेशेवर विकास की पहली सीढ़ी में कदम रख लेता है। इसके बाद वह अध्यापन से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में प्रवेश की तैयारी करता है। इस तैयारी के बहाने वह अध्यापन के विविध पक्षों को समझने लगता है। अध्यापन से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री कोर्सों में प्रवेश पाने के बाद वह अध्यापन से जुड़ी बारीकियों को समझने लगता है। इसके बाद अध्यापक के रूप में कार्य करने के दौरान वह डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में उतारने का प्रयास करता है। अध्यापक बनने की प्रक्रिया अध्यापक के

रूप में नौकरी पाने के उपरांत समाप्त नहीं हो जाती। यहाँ से यह प्रक्रिया नए आयामों को प्राप्त कर आगे बढ़ती है। इस प्रकार अध्यापकों के पेशेवर विकास में निरंतरता एक स्वाभाविक गुण है।

अध्यापकों के पेशेवर विकास के सूचक

अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन. सी. एफ.टी. ई.)— 2009 अध्यापकों के पेशेवर अधिगम और विकास के प्रमुख लक्ष्यों पर प्रकाश डालती है। इसके अनुसार —

- अध्यापक को खोजबीन, इसके लिए चिंतन-मनन और विकास की स्वयं की परिपाटी विकसित करनी चाहिए।
- उसे शैक्षिक अनुशासन या विद्यालयी पाठ्यचर्या के अन्य क्षेत्रों के बारे में अपने ज्ञान को गहन बनाने के लिए सतत प्रयासशील होना चाहिए।
- अध्यापक को विद्यार्थियों और उनकी शिक्षा पर शोध और चिंतन करना चाहिए।
- अध्यापक को शैक्षिक और सामाजिक मुद्दों को समझने और अद्यतन करने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए।
- अध्यापक को शिक्षा /अध्यापन से पेशेवर रूप से जुड़ी अन्य भूमिकाओं के लिए तैयारी करनी चाहिए, जैसे— पाठ्यचर्या विकास, साहित्य लेखन, प्रशिक्षण आदि।
- अध्यापकों को कार्यस्थल पर अन्य लोगों, विशिष्ट विषयों के क्षेत्रों में काम कर रहे अध्यापकों, शिक्षाविदों और समाज के बुद्धिजीवियों से परस्पर वैचारिक साझीदारी को सतत रूप से करना चाहिए।

उपरोक्त बिंदु अध्यापकों के पेशेवर अधिगम और विकास के प्रमुख लक्ष्यों को इंगित करने के साथ ही एक अध्यापक के लिए अपने मूल्यांकन के बिंदु भी हैं कि उसके पेशेवेर विकास की प्रक्रिया गतिमान है या ठहर गई है? यदि वह अनुभव करता है कि इन बिंदुओं को मार्गदर्शक के रूप में वह अपने शिक्षण में लागू कर पा रहा है तो उसके पेशेवर विकास की प्रक्रिया जारी है, अन्यथा इस प्रक्रिया में ठहराव आ गया है। क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रमों का उद्देश्य इसी ठहराव को समाप्त करना होना चाहिए। अत: अध्यापकों के पेशेवर अधिगम और विकास के प्रमुख लक्ष्यों से संबंधित ये बिंदु अध्यापकों के पेशेवर विकास के सूचक भी कहे जा सकते हैं।

अध्यापकों का पेशेवर विकास और पाठ्यचर्या के तत्व

अध्यापकों के पेशेवर विकास में सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों तथा सेवारत शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या का विशिष्ट स्थान होता है। यह पाठ्यचर्या विद्यार्थी-अध्यापकों के भावी शैक्षिक जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। इस पाठ्यचर्या की तुलना हम रेशम कीट की विकास विषयक प्रक्रिया से कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने रेशम के खोल से रेशम कीट के तितली रूप के बाहर आने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उसने देखा किस प्रकार रेशम कीट का तितली रूप खोल से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसने तितली के इस संघर्ष में उसकी सहायता करने की सोची। वह एक कैंची लाया, उसने कैंची से उस खोल को काटकर रेशम कीट के तितली रूप को बाहर निकाला।

वह सोच रहा था कि तितली बाहर आकर तुरंत उड़ जाएगी किंतु यह क्या? वह तितली हमेशा के लिए अविकसित रह गई। उस व्यक्ति ने अनजाने में उस तितली के उड़ने की तमाम संभावनाओं और क्षमताओं को समाप्त कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार रेशम कीट का तितली रूप जब खोल से बाहर आने की प्रक्रिया से गुज़रता है तो कुछ रसायन स्रावित होते हैं जो तितली के विकास में सहायक होते हैं। इसी प्रकार अध्यापक बनाने से संबंधित पाठ्यचर्या भी होनी चाहिए जो विद्यार्थी-अध्यापकों को शिक्षा/प्रशिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा से जुड़े मुद्दों तथा गतिविधियों से रसिक्त कर उसके अध्यापक जीवन में परिपक्वता ला सके।

विद्यार्थी-अध्यापकों हेतु विकसित की जाने वाली पाठ्यचर्या में बाल विकास से संबंधित सिद्धांतों को अनिवार्यत: स्थान दिया जाना चाहिए। यदि पाठ्यचर्या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है तो बाल विकास संबंधित सिद्धांतों को (अल्प वय वर्ग वाले बच्चों हेतु) तथा माध्यमिक स्तर से संबंधित हो तो किशोरावस्था से संबंधित सिद्धांतों को महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन शिक्षण रटंत से मुक्त होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी-अध्यापकों को बच्चों को समझने के पर्याप्त अवसर पाठ्यचर्या में सम्मिलित होने चाहिए। उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाएँ जो बाल अवलोकन पर आधारित हों। वे विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक और भाषागत विभिन्नता में रहने वाले बच्चों का अवलोकन कर पाएँ तथा उनका पर्यवेक्षण और विश्लेषण कर सकें। इससे वे बच्चों की अधिगम तथा चिंतन की प्रक्रिया की समझ भी विकसित कर पाएँगे। विद्यार्थी और अध्यापक जिस समाज के अभिन्न अंग हैं, वह कई सामाजिक मुद्दों से जूझता रहता है। इसलिए पाठ्यचर्या को जेण्डर, समता, निर्धनता, विविधता, पर्यावरण, बाल अधिकार, मानवाधिकार, बाल मज़दूरी, कुपोषण आदि मुद्दों के प्रति विद्यार्थी को संवेदीकृत करने की दृष्टि से सक्षम होना चाहिए। पाठ्यचर्या में इन मुद्दों पर आधारित परियोजना सम्मिलित की जानी चाहिए। शिक्षा के विविध उद्देश्य, लक्ष्य आदि पर विश्लेषण की दक्षता का विकास करने के लिए विद्यार्थी-अध्यापकों को समय-समय पर सेमिनार, व्याख्यान, सामूहिक परिचर्चा आदि में सम्मिलित होने के अवसर दिए जाने आवश्यक हैं।

मूल्यपरक शिक्षा के लिए कहा जाता है 'Values are not taught, but should be caught' मूल्यपरक शिक्षा से संबंधित संबोधों का सीधे शिक्षण करने के बजाय थियेटर और ड्रामा जैसी गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है। विद्यार्थी-अध्यापकों को पाठ्यचर्या, (अवधारणा, पाठ्यचर्या में कक्षावार क्रमिकता और जुड़ाव आदि), पाठ्यवस्तु आदि के सैद्धांतिक पक्षों के साथ-साथ व्यवहारगत अभ्यासों को पाठ्यचर्या में पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। विद्यार्थी-अध्यापकों में पाठ्यचर्या के माध्यम से यह दृष्टि विकसित की जानी चाहिए कि पाठ्यपुस्तकें किन्हीं निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन तो हैं, किंतु अंतिम साधन नहीं। पुस्तकों के अलावा ज्ञान सृजन के अन्य संसाधनों की पहचान और उनके उपयोग की समझ का विकास करना भी पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होना

चाहिए। इसके साथ ही अध्यापकों में पाठ्यचर्या को स्थानीय परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास करना भी, पाठ्यचर्या में निहित उद्देश्यों में शामिल होना चाहिए। अध्यापक को अपने ज्ञान के अंतिम स्रोत के रूप में मानने के स्थान पर ज्ञान सृजन के लिए परिस्थितियों तथा वातावरण निर्माता के रूप में देखकर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए। इसके लिए उसे बाल-केंद्रित सहगामी अधिगम प्रक्रियाओं को संचालित करना चाहिए। उसे स्व-विश्लेषण तथा स्व-मूल्यांकन के साथ-साथ विद्यार्थियों की भावनाओं की समझ होना भी ज़रूरी है। उसे ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन को बढ़ावा दे सकें।

अध्यापकों के पेशेवर विकास और इंटर्नशिप कार्यक्रम

प्राय: यह सुनने को मिलता है कि अमुक व्यक्ति एम. बी. बी. एस. की डिग्री करने के बाद किसी अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक के साथ प्रैक्टिस कर रहा है या एल. एल. बी. करने के बाद सीनियर वकील के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। चूँकि अध्यापक बनने की प्रक्रिया में भी प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक स्थिति में लागू करने की आवश्यकता होती है, अत: अन्य पेशों की भाँति इंटर्नशिप कार्यक्रम अध्यापकों के पेशेवर विकास का भी एक महत्वपूर्ण सोपान है। इंटर्नशिप कार्यक्रम से प्रशिक्षु को अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक परिस्थितियों में लागू करने में आने वाली कठिनाइयों और उनके समाधान हेतु क्या प्रयास किए जाएँ, इस संबंध में सम्यक दृष्टि का विकास होता है। शिक्षण में इंटर्नशिप के समय विद्यार्थी-अध्यापकों को शिक्षण हेतु कुछ कालांश निर्धारित किए जाते हैं। इन कालांशों के शिक्षण के साथ-साथ उन्हें विद्यालय के विभिन्न अभिलेखों के अवलोकन और रखरखाव को समझने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप विद्यालयी पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण अंग हैं। अत: इंटर्नशिप में विद्यार्थी-अध्यापकों को विद्यालय में आयोजित होने वाले इन क्रियाकलापों के अवलोकन तथा संचालन के अवसर दिए जाने चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को पाठ्य क्रियाकलाप का हिस्सा बनाकर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रोचक, बाल-केंद्रित और परिणामोन्मुखी बनाया जा सकता है। कक्षा-कक्ष में शिक्षण हेतु निर्धारित कालांशों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से संबंधित ऐसी या अन्य गतिविधियों के संचालन के संदर्भ में विद्यार्थी-अध्यापकों को गतिविधियों के चयन और संचालन में स्वायत्तता होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक द्वारा विद्यार्थी-अध्यापक के शिक्षण का मैत्रीपूर्ण वातावरण में अवलोकन कर उसे आवश्यक सुझाव देने चाहिए और अपने अनुभव साझा करने चाहिए।

इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थी-अध्यापकों को अपने प्रेक्षणों का रिकॉर्ड भी रखना चाहिए और समय-समय पर उनका विश्लेषण भी करना चाहिए। उन्हें शिक्षण से संबंधित अनुभव की गई समस्याओं की पहचान कर शोध परियोजना भी तैयार करनी चाहिए। इससे उन्हें कक्षा-कक्ष शिक्षण को सुधारात्मक और उपलब्धिपूर्ण बनाने में सहायता प्राप्त होगी। इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थी-अध्यापकों

को विद्यालय के समस्त प्रशासनिक एवं अकादमिक नेतृत्व संबंधी क्रियाकलापों को जानना-समझना आवश्यक है। इन सभी क्रियाकलापों के प्रभावी संचालन के लिए इंटर्नशिप की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए।

अध्यापकों का पेशेवर विकास और शोध

अध्यापक बनने की सतत प्रक्रिया में सहभागी होने के लिए एक अध्यापक का अच्छा शोधक होना आवश्यक है। शोध ज्ञान की साझेदारी और सृजित करने का सशक्त माध्यम है। शैक्षिक शोध हमें शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान एवं पूर्व-स्थापित ज्ञान के परीक्षण और सत्यापन का अवसर प्रदान करता है। इससे नवीन ज्ञान के विकास की प्रक्रिया को बल मिलता है। शिक्षा में शोध के माध्यम से अध्यापक को उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलती है जिन पर शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाए जाने हेतु कार्य किए जाने की आवश्यकता है। वह इन क्षेत्रों की पहचान कर अपनी कार्यनीति को क्रियान्वित करता है। इस प्रकार शोध अध्यापकों के पेशेवर विकास की प्रक्रिया से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री कोर्सों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या तथा क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रमों हेतु क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें दिशा प्रदान करने का कार्य करता है।

मौलिक शोध की भाँति क्रियात्मक शोध भी अध्यापकों के पेशेवर विकास की सतत प्रक्रिया का अंग है। यह अध्यापक को स्व-मूल्यांकन के अवसर प्रदान करता है। स्टेफिन कोरे के शब्दों में, क्रियात्मक शोध का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णयों तथा प्रतिक्रियाओं का पथ-निर्देशन एवं मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। क्रियात्मक शोध की उत्पत्ति अभ्यासकर्ता की असंतुष्टि से होती है। वह अपनी उपलब्धि के शत-प्रतिशत लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। वह विश्लेषित करता है कि ऐसी कौन-सी समस्याएँ हैं जो उसकी उपलब्धि को प्रभावित कर रही हैं? वह उन समस्याओं के निराकरण के लिए सुधारात्मक उपायों की खोज करता है। सुधारात्मक उपायों से उसकी उपलब्धि में क्या परिवर्तन आया है? वह इसका सतत मूल्यांकन करता है। इस प्रकार क्रियात्मक शोध अध्यापक को पेशेवर विकास की सतत प्रक्रिया की ओर प्रयत्नशील बनाए रखता है।

अध्यापकों के पेशेवर विकास और नेतृत्वशीलता

विद्यालय को समाज की एक लघु इकाई के रूप में भी विश्लेषित किया जा सकता है। विद्यालय में विभिन्न क्षेत्र, जाति, समुदाय, योग्यता, शारीरिक क्षमता आदि से संबंधित बच्चों को एक मुख्यधारा में बनाए रखना अध्यापक में नेतृत्वशीलता के गुण के कारण ही संभव हो सकता है। अध्यापक को विद्यालयी नेतृत्व के साथ-साथ सामाजिक नेतृत्व की ज़िम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। अत: नेतृत्वशीलता के प्रति सजग अध्यापक ही पेशेवर विकास की सतत प्रक्रिया की ओर अग्रसर रहता है। सेवा-पूर्व और सेवारत अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यवस्तु में नेतृत्वशीलता को महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए।

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित सेवा-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम, जैसे— डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन आदि की पाठ्यचर्या को क्रियान्वित करने में प्राचार्य तथा अध्यापक-प्राध्यापकों को समन्वित रूप से कार्य करना चाहिए। जिससे विद्यार्थी-अध्यापकों में नेतृत्वशीलता का विकास हो सके। अध्यापकों को कई कार्य उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में संपादित करने पड़ते हैं। उच्च स्तरीय अधिकारियों को इन निर्देशों से संबंधित कार्ययोजना को बनाने में अध्यापकों की सलाह लेनी चाहिए और महत्वपूर्ण सुझावों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। नेतृत्व संबंधी यह प्रक्रिया अकादमिक स्वायत्तता को बढ़ावा देगी जो अध्यापक के पेशेवर विकास की सतत प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है। इसके साथ ही उच्च स्तरीय इकाइयों द्वारा विद्यालयों को नियंत्रण के स्थान पर अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना चाहिए।

अध्यापकों के पेशेवर विकास एवं क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रम

अध्यापकों के पेशेवर विकास की सतत प्रक्रिया में क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रमों का विशिष्ट स्थान है। शिक्षा आयोग (1964–66), अध्यापकों पर राष्ट्रीय आयोग (1983–85), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) तथा राममूर्ति शिक्षा समिति (1990) आदि ने समय-समय पर सेवाकालीन क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया है। इन कार्यक्रमों का आयोजन प्रशिक्षण आवश्यकताओं की व्यवस्थित पहचान और शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ही होना चाहिए। शोध और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को जाने बिना क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रम अध्यापकों की पेशेवर कुशलता का संवर्धन अपेक्षानुरूप नहीं कर पाते हैं।

अध्यापकों की पेशेवर कुशलता संवर्धन हेतु आयोजित कार्यक्रमों की शिक्षण-प्रशिक्षण प्रविधि सृजनवाद पर आधारित होनी चाहिए। इसमें भाषण आधारित अधिगम के स्थान पर सामूहिक शिक्षण पर बल देना चाहिए। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा— 2005* क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रमों पर बल देती है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सिद्धांत और व्यवहार के समन्वित रूप में आयोजित करने की मंशा व्यक्त करती है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005* में निहित भावना के अनुरूप सेवाकालीन प्रशिक्षण एक घटना के रूप में नहीं, अपितु ज्ञान, विकास, दृष्टिकोण, कौशल प्रवृत्तियों और व्यवहार में बदलाव पर आधारित एक प्रक्रिया के रूप में नियोजित किए जाने चाहिए।

इन कार्यक्रमों का विधिवत् *फ़ॉलो-अप* भी आवश्यक है। अध्यापकों के पेशेवर विकास की सतत प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन इस प्रकार होना चाहिए कि ये अध्यापकों के पेशेवर अधिगम और विकास के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। यह अध्यापकों को खोजबीन, चिंतन-मनन और विकास की प्रणाली विकसित करने में सहायक हो। क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रमों से अध्यापकों में विद्यालयी शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की सतत लालसा और ज्ञान को अद्यतन करने की प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए।

अध्यापकों के क्षमता अभिवर्धन को गुणवत्तापरक बनाने के लिए पेशेवर दृष्टि से कुशल मुख्य संदर्भदाताओं और मास्टर ट्रेनरों का एक सशक्त पुल भी बनाया जाना आवश्यक है। संदर्भदाता और मास्टर ट्रेनरों के रूप में विषय अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने से उनके अपने विषय के अध्यापन का कार्य अधिक गुणात्मक होगा, किंतु इन कार्यक्रमों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण वे शिक्षण कार्य से विरत भी हो सकते हैं। अत: अनुभवी और नवाचारी सेवानिवृत्त अध्यापकों और अध्यापक-प्राध्यापकों का सहयोग भी इसमें लिया जा सकता है।

अध्यापकों के पेशेवर विकास की प्रक्रिया में आए ठहराव की पहचान और इस प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान करना क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रमों का लक्ष्य होता है। इसके लिए आवश्यकतानुसार छोटी अवधि, जैसे— एक वर्ष तथा दीर्घ अवधि, जैसे— तीन या पाँच वर्षों की कार्ययोजना पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान, प्रशिक्षण साहित्य का विकास, प्रशिक्षण साहित्य का प्रायोगिक परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण के उपरांत प्रशिक्षण साहित्य का परिवर्धन, मुख्य संदर्भदाता तथा मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण, सेवारत अध्यापक-प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का शिक्षण स्थल पर क्रियान्वयन और अध्यापक-प्रशिक्षण के शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रत्येक चरण को संपादित करने के लिए पर्याप्त समय निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूर्ववर्ती प्रशिक्षण का क्रियान्वयन हो ही नहीं पाया और उन्हीं लक्ष्यों और उद्देश्यों पर आधारित नवीन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए।

अध्यापकों का पेशेवर विकास और सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी

शिक्षा के कुछ उद्देश्य सनातन होते हैं अर्थात् हर युगीन परिस्थितियों में उनका महत्व बना रहता है। मूल्यपरक शिक्षा, जैसे — नैतिकता, ईमानदारी आदि से संबंधित उद्देश्य इनके अंतर्गत रखे जा सकते हैं। शिक्षा के कुछ उद्देश्य युगीन संदर्भों में बदल जाते हैं। आज वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व एक वृहद् गाँव में बदल चुका है। ऐसे समय में अध्यापकों के पेशेवर विकास की तैयारी और प्रक्रिया के स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया है। वर्तमान संदर्भ में अध्यापकों के पेशेवर विकास की प्रक्रिया से संबंधित पाठ्यचर्या, पाठ्यवस्तु, मूल्यांकन, सेवारत तथा सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा आदि में सूचना संप्रेषण तकनीकी का समावेश आवश्यक हो गया है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विश्व के विभिन्न देशों में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारी प्रयासों की साझेदारी का एक प्रभावी माध्यम बन चुकी है। आज परंपरागत शिक्षण-अधिगम सामग्री की जगह अंतर्क्रियात्मक श्वेत पट (Interactive white board) ने ले ली है। दर्शकों की प्रतिक्रिया प्रणाली का विकास जिसमें वे दूर बैठे ही अंतर्क्रिया करते हैं, सूचना संप्रेषण तकनीकी का महत्वपूर्ण पक्ष है। अध्यापकों के डिप्लोमा कोर्सों, पाठ्यक्रमों तथा क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रमों आदि में शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयरों, जैसे— जियोजेब्रा (विभिन्न प्रकार की

रेखाओं, आकृतियों आदि को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण), फ़ैंट (गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, अंग्रेज़ी आदि से संबंधित अनिमेशन वीडियो आधारित), स्टेलेरियम (आकाश गंगा, तारों आदि के 3D रूप में अवलोकन हेतु), कैल्जियम (तत्वों की आवर्त सारणी को समझने के लिए) तथा टक्स मैथ कमांड (गणितीय संक्रियाओं पर आधारित गतिविधियों के लिए) आदि से संबंधित विषय-वस्तु तथा क्रियात्मक गतिविधियों को सम्मिलित करना आवश्यक हो गया है। शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन सॉफ़्टवेयरों के अतिरिक्त सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण लिंकों एवं ई-पत्रिकाओं की जानकारी भी अध्यापकों को होनी ज़रूरी है। अध्यापकों के पेशेवर कुशलता संवर्धन से संबंधित कार्यक्रमों में इनके प्रयोग हेतु विद्यार्थी अध्यापकों को प्रेरित किया जाना चाहिए।

सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने जहाँ ज्ञान के नए दरवाज़ों को खोला है, वहीं एक मायावी संसार की भी रचना की है। अत: ऐसे समय में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक काउंसलर के रूप में भी अध्यापक की नयी भूमिका ने जन्म लिया है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के लिए बनाए कार्यक्रमों को निष्क्रिय रूप से देखने और सुनने के बजाय इनमें क्रियात्मक अभ्यासों को स्थान दिया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की रचनात्मकता को अभिव्यक्त होने और निखरने के अवसर प्राप्त होंगे। अध्यापकों के पेशेवर विकास से संबंधित कार्यक्रमों की तैयारी में इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है।

अध्यापकों के पेशेवर विकास और प्रबंधन

परंपरागत रूप से एक अध्यापक का मुख्य कार्य शिक्षा प्रदान करना, सामाजीकरण एवं मूल्यांकन रहा है। किंतु वर्तमान बदलती परिस्थितियों में पाठ्यचर्या नियोजन, समय प्रबंधन, परीक्षा प्रबंधन, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन और मार्गदर्शन तथा परामर्श आदि से संबंधित क्रियाओं का संचालन उसके दायित्व का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं।

अत: अध्यापक को तैयार करने और उसकी पेशेवर कुशलता संवर्धन से संबंधित कोर्सों में प्रबंधन से संबंधित विषय-वस्तु का अनिवार्यत: समावेश होना चाहिए, जिससे वह विद्यालय में आयोजित क्रियाकलापों का नियोजन एवं क्रियान्वयन सफलतापूर्वक कर सके।

अध्यापकों के पेशेवर विकास की प्रक्रिया और मूल्यांकन

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया हेतु अध्यापक कुछ लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निर्धारित करता है। यह किस हद तक प्राप्त हुए? इसकी प्रगति को वह मूल्यांकन के आधार पर जाँचता है। अध्यापकों के पेशेवर विकास की प्रक्रिया की निरंतरता के लिए उन्हें अपनी पाठ्यचर्या का भी मूल्यांकन करना चाहिए। उन्हें समय-समय पर उनसे संबंधित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें पाठ्यचर्या तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिवर्धन से संबंधित सुझाव अध्यापक शिक्षा से संबंधित संस्थानों, ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण

परिषद् (SCERT), सीमैट (State Institute of Educational Management and Training— SIEMAT), सी.टी.ई. (College of Teacher Education— CTE), आई.ए.एस.ई. (Institute of Advanced Studies in Education—IASE) आदि को देना चाहिए। अध्यापक शिक्षा से संबंधित संस्थानों को भी समय-समय पर पाठ्यचर्या के मूल्यांकन करने की पहल करनी चाहिए।

सेवाकालीन क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रमों में अध्यापकों को इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के फ़ीडबैक/मूल्यांकन सत्र को भी अन्य सत्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। समय सारिणी में इस सत्र हेतु पर्याप्त समय नियोजित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मास्टर ट्रेनरों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार प्रशिक्षण लेने वाले अध्यापक 'कहीं बुरा न लगे' यह सोचकर निरपेक्ष भाव से फ़ीडबैक नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें छूट होनी चाहिए कि वे चाहें तो फ़ीडबैक प्रपत्र में अपना नाम नहीं भी लिख सकते हैं।

अध्यापक बनने की सतत प्रक्रिया में अपने को अग्रसर रखने के लिए अध्यापक को समय-समय पर अपना स्वॉट निरीक्षण (SWOT Analysis — S-Strength, W-Weakness, O-Opportunity, T-Threat) करना चाहिए। इसके अंतर्गत उसे आत्ममुग्धता से निरपेक्ष होकर अपने सकारात्मक पक्ष (Strength) तथा सुधारात्मक पक्ष (Weakness) का विश्लेषण करना चाहिए। जिससे वह पेशेगत खतरों (Threat) से बच सके और ज्ञान सृजन तथा अध्यापकों के पेशेवर विकास की प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के अवसर (Opportunity) प्राप्त कर सके।

अध्यापकों का पेशेवर विकास और अन्य मसले

अध्यापकों के पेशेवर विकास की प्रक्रिया का मसला योग्य और रुचिशील अध्यापकों के चयन से भी जुड़ा है। अध्यापकों के चयन को राजनीतिक तुष्टीकरण या आंदोलनों के दबाव से मुक्त रहना चाहिए। प्राय: ऐसा भी देखा जाता है कि युवा मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। जब वे इन क्षेत्रों में असफल हो जाते हैं तो उन्हें अध्यापन कार्य रोज़गार प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता लगता है। अत: रुचि न होने के बावजूद वे अपने करियर के रूप में अध्यापन व्यवसाय का चयन करते हैं। रोज़गार की बाध्यता के चलते अध्यापक बनने की सतत प्रक्रिया में वे सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए सेवा-पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण के पाठ्यचर्या और प्रशिक्षण की प्रविधि इस स्तर की होनी चाहिए जो ऐसे अध्यापकों की भी पेशेवर विकास की प्रक्रिया को गतिशील बना सके।

अध्यापक एक मानव है। अत: उस पर भी मानव मनोविज्ञान के नियम लागू होते हैं। वह भी सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरणा से प्रभावित होता है। पेशेवर और कुशल अध्यापक बनने के मार्ग में नकारात्मक अभिप्रेरणा भी बाधा डालती है। शिक्षण से जुड़ने पर लंबे समय तक पदोन्नति न

होने से अध्यापक अपने कर्म में नीरसता का अनुभव करते हैं। उन्हें पता है कि उनकी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर ही होनी है। चाहे वह कितना योग्य, पेशेवर और समर्पित क्यों न हो? अत: अध्यापकों की पेशेवर कुशलता संवर्धन हेतु वरिष्ठता के साथ-साथ योग्यता, अध्यापक द्वारा किए नवाचारी कार्य, उपलब्धि एवं विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से उन्हें पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाने आवश्यक हैं।

प्रभावी स्थानांतरण नीति लागू न होना भी नकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अध्यापन कर्म के प्रति समर्पित एक अध्यापक जब देखता है कि वह वर्षों से दुर्गम स्थानों में अपनी सेवाएँ दे रहा है, उसी जैसा या उससे कम समर्पित अध्यापक का सेवाकाल सुगम में ही बीत रहा है तो उसकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित न किया जाना और कर्तव्यों से विमुख होने पर दंड की व्यवस्था न होना भी एक अध्यापक के पेशेवर विकास की प्रक्रिया में बाधक है।

अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या विशेषकर सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में भी संबद्धता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्यापकों के पेशेवर विकास की प्रक्रिया में ठहराव को आने से रोकने के लिए अध्यापकों के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों के भ्रमण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे वे विभिन्न नवाचारी गतिविधियों से परिचित हो पाएँगे और अपने द्वारा की गई नवाचारी गतिविधियों की साझेदारी कर सकेंगे।

अध्यापक शिक्षा का ढाँचा

अध्यापकों के पेशेवर विकास की सतत प्रक्रिया में अध्यापक शिक्षा का उपयुक्त ढाँचा और स्वरूप भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। कोठारी आयोग (1964–66) ने अध्यापक शिक्षा को अकादमिक जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने पर बल दिया। इसके लिए हमें अध्यापक शिक्षा के ढाँचे को सुदृढ़ बनाना होगा। अध्यापक-प्राध्यापक और विषय का अध्यापन करने वाले अध्यापकों के कार्यों में अंतर्संबंध तो है, किंतु दोनों के कार्यों की प्रकृति में विशिष्ट अंतर भी है।

अध्यापक बनने के प्रक्रिया को ठोस धरातल प्रदान करने के लिए अध्यापक शिक्षा का पृथक कैडर लागू किया जाना अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत रुचिवान और नवाचारी अध्यापकों से विकल्प माँगे जाने चाहिए कि वे दोनों में से किस का चयन करते हैं? अध्यापक शिक्षा और अध्यापन का पृथक कैडर लागू न होने से कई व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों में सरकार द्वारा विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जैसे— डी. टी. एस. (Direct Trainer Skills) डी. ओ. टी. (Design of Training), ई. ओ. टी. (Evaluation of Training), टी. एन. ए. (Training needs Analysis), एम. ओ. टी. (Management of Training) आदि का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अध्यापक शिक्षा में आए संकाय सदस्यों को अध्यापक-प्राध्यापक के रूप में विकसित करना है। पृथक कैडर लागू

न होने के कारण यह अध्यापक-प्राध्यापक जब इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्राप्त दक्षताओं को लागू करना चाहते हैं तब उनका स्थानांतरण या पदोन्नति विषय अध्यापकों या प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य के रूप में हो जाती है। इससे उनकी दक्षताओं के उपयोग का चक्र यहीं पर टूट जाता है। परिणामत: प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा किया गया प्रयास व्यर्थ चला जाता है। इसी प्रकार अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशासनिक व्यक्तियों के दंड वाली जगह या मुख्यालयों में टिके रहने वाली जगह को मानने की अवधारणा भी अध्यापक बनने की प्रक्रिया में प्रबल विरोधी कारण है। अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देना आवश्यक है। कई बार इन संस्थानों को गैर अकादमिक कार्यों, जैसे — अध्यापक भर्ती प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति परीक्षाओं के आयोजन आदि में झोंकने के समाचार भी प्राप्त होते हैं। इससे इन संस्थानों की अकादमिक ऊर्जा का क्षय होता है।

निष्कर्ष

अत: अध्यापकों का पेशेवर विकास कई कारकों पर निर्भर करता है और कई तत्वों से प्रभावित होता है। अध्यापकों के पेशेवेर विकास से संबंधित कार्यक्रमों के नियोजन में किसी भी कारक और तत्व की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। अध्यापकों के पेशेवर विकास का दायित्व राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला स्तरीय आदि संस्थाओं का ही नहीं, अपितु स्वयं अध्यापक का भी है और उसे भी इस दिशा में सतत प्रयासशील रहना चाहिए।

संदर्भ

एन. सी. टी. ई. 2009. *अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा– 2009*. एन. सी. टी. ई., नयी दिल्ली.

———. *एजुकेशनल रिसर्च एंड इन्नोवेशन*. एन. सी. ई. आर. टी., नयी दिल्ली.

कोर, स्टीफन. एम. 1950. *कंडीशंस कंडयूसिव टु करिकुलर एक्सपेरिमेंटेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न.*

चमोला उमेश. *संप्रेषिका —माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण साहित्य*. एस. सी. ई. आर. टी., उत्तराखंड.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005*. एन. सी. ई. आर. टी., नयी दिल्ली.

http//omprakashkashyap.wordpress.com.